रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, बुधवार, मई 09, 2018/वैशाख 19, 1940
No. 169] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 09, 2018/VAISAKHA 19, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2018

सं. 05/2015—2020

विशय : पैकेजिंग के स्तरों तथा आपूर्ति श्रृंखला में इनके आवागमन में अभिभावक–शिशु तुल्य संबंध को बनाए रखने के साथ भेषज और औषध खेप के निर्यात हेतु खोजबीन प्रणाली का कार्यान्वयन–कार्यान्वयन की तारीख बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 01/91/180/648/एएम09/निर्यात प्रकोष्ठ.—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा औषध संरूपण की निर्यात खेप के लिए खोजबीन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए दिनांक 05.01.2016 की सार्वजनिक सूचना सं० 52/2015–20 के साथ पठित प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 के पैरा 2.90 क (दिनांक 05.12.2017 की सार्वजनिक सूचना सं० 43/2015–20 के द्वारा यथा अधिसूचित) को संशोधित करते हैं।

2. संशोधित पैरा 2.90 क (vi) और (vii) जिनमें गैर लघु उद्योग इकाइयों और लघु उद्योग इकाइयों के लिए औषध संरूपण के निर्यात हेतु खोजबीन प्रणाली के कार्यान्वयन की तारीख रेखांकित की गई है, को प्रतिस्थापित किया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

''2.90 क

vi. लघु उद्योग इकाइयों या गैर लघु उद्योग इकाइयों द्वारा 15.11.2018 या उसके पहले के विनिर्माण की तारीख वाले सभी विनिर्मित औषधों के निर्यात को इनकी पैकेजिंग के तीन स्तरों में अभिभावक–शिशु संबंध में आंकड़ों के रखरखाव करने तथा इसे केन्द्रीय पोर्टल (http://dava.gov.in) पर अपलोड करने से छूट दी जाती है।

vii. लघु उद्योग इकाइयों या गैर लघु उद्योग इकाइयों द्वारा 15.11.2018 या उसके बाद के विनिर्माण की तारीख वाले सभी विनिर्मित औषधों का तभी निर्यात किया जा सकता है जब तृतीयक और द्वितीयक दोनों पैकेजिंग में यथा लागू बार कोड हो और विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा निर्धारित संगत आंकड़ा केन्द्रीय पोर्टल पर अपलोड किया गया हो।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

गैर लघु उद्योग इकाइयों द्वारा विनिर्मित औषधों और लघु उद्योग इकाइयों द्वारा विनिर्मित औषधों के लिए पैकेजिंग के स्तरों में अभिभावक–शिशु तुल्य संबंध को बनाए रखने के साथ औषधि संरूपण के निर्यात हेतु खोजबीन प्रणाली के कार्यान्वयन और केन्द्रीय पोर्टल पर इसे अपलोड किए जाने की तिथि **15.11.2018** तक बढ़ाई गई है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th May, 2018

No. 05/2015-2020

Subject: **Implementation of the Track and Trace system for export of Pharmaceuticals and drug consignments along with maintaining the Parent-Child relationship in the levels of packaging and their movement in supply chain – Extension of date of implementation regarding.**

F. No. 01/91/180/648/AM 9/Export Cell.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 2.90A of Handbook of Procedure - 2015-20 (as notified vide Public Notice No. 43/2015-20 dated 05.12.2017) read with Public Notice No. 52 / 2015-20 dated 05.01.2016, for laying down the procedure for implementation of the Track and Trace system for export consignments of drug formulations.

2. The amended Para 2.90 A (vi) and (vii) which outlines the implementation date of Track and Trace system for export of drug formulations for non SSI as well as SSI units has been substituted and would read as under :-

"2.90 A

vi. Export of drugs manufactured by SSI and non-SSI units and having manufacturing date on or before 15.11.2018 are exempted from maintenance of data in the Parent-Child relationship for three levels of packaging and its uploading on Central Portal(http://dava.gov.in).

vii All drugs manufactured by SSI or non SSI units and having manufacturing date after 15.11.2018 can be exported only if both tertiary and secondary packaging carry barcoding as applicable and the relevant data as prescribed by DGFT is uploaded on the Central Portal.

3. **Effect of this Public Notice:**

The date for implementation of Track and Trace system for export of drug formulations with respect to maintaining the Parent-Child relationship in packaging levels and its uploading on Central Portal has been **extended up to 15.11.2018** for non-SSI manufactured drugs as well as SSI manufactured drugs.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.12 12:54:23 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.